अध्याय– XI
पायलट गार्ड पद्धति

11.01. पायलट गार्ड पद्धति की आवश्यक बातें:– जहाँ गाड़ियों का संचालन पायलट गार्ड पद्धति के अनुसार किया जाता है, वहां –

(क) एक रेल सेवक (जिसे इसमें इसके बाद पायलट गार्ड कहा गया है) गाड़ियों को पायलट करने के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा, तथा

(ख) स्टेशन से कोई भी गाड़ी बिना पायलट गार्ड के व्यक्तिगत प्राधिकार के नहीं छूटेगी।

11.02. पायलट गार्ड पद्धति पर अनुगामी गाड़ियों के लिए अनुपालनीय शर्तें:– स्टेशनों के बीच एक ही दिशा में एक के बाद एक अनुगामी गाड़ियां तब तक नहीं चलायी जायेंगी जब तक कि–

(क) लोको पायलट की उससे पहले जाने वाली गाड़ी के छूटने के समय की और उसके रूकने के अगले स्थान की सही प्रकार से चेतावनी नहीं दे दी जाती है :

(ख) सभी गाड़ियां समान गति से नहीं चलाई जाती हैं और यह गति विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, तथा

(ग) पहले वाली गाड़ी को छूटे हुए पन्द्रह मिनट नहीं बीत चुके हैं।

11.03. पायलट गार्ड की वर्दी या बिल्ला:– पायलट गार्ड लाल वर्दी या बिल्ले से पहचाना जायेगा।

11.04. पायलट गार्ड का गाड़ी पर जाना या प्रस्थान प्राधिकार देना:–

(1) स्टेशन से कोई गाड़ी तब तक प्रस्थान नहीं करेगी जब तक कि लोको पायलट यह नहीं देख लेता कि गाड़ी के साथ नियम 11.03 में निर्धारित वर्दी पहने हुए या बिल्ला लगाए हुए, पायलट गार्ड चल रहा है या उसने स्वयं प्रस्थान प्राधिकार दिया है।

(2) प्रत्येक गाड़ी के साथ पायलट गार्ड जाएगा। परन्तु यदि लाइन की दूसरी ओर से गाड़ी चलने से पहले, इस ओर से दो या दो से अधिक गाड़ियां चलाना आवश्यक है तो पायलट गार्ड ऐसी गाड़ियों में से केवल अन्तिम गाड़ी के साथ ही जाएगा और उससे पहले वाली गाड़ियों को वह स्वयं प्रस्थान प्राधिकार देगा।

(3) जब पायलट गार्ड गाड़ी के साथ जाएगा तब वह इंजन पर चलेगा।

11.05. पायलट गार्ड के टिकट:–

(1) यदि पायलट गार्ड गाड़ी के साथ नहीं जाता है तो वह गार्ड को (या गार्ड के न होने पर लोको पायलट को), एक छपे हुए प्रारूप (फार्म) को, स्याही से, भली प्रकार भर कर तथा हस्ताक्षर करके एक पायलट गार्ड टिकट प्रस्थान प्राधिकार के रूप में देगा।

(2) ऐसा हर टिकट केवल उस पर लिखे हुए स्टेशन तक एक ही यात्रा के लिए लागू होगा।

(3) यदि गाड़ी गार्ड के प्रभार (चार्ज) में है तो वह गाड़ी के प्रस्थान से पहले वह टिकट, लोको पायलट को दे देगा।

(4) गाड़ी के पहुंचते ही, लोको पायलट वह टिकट तुरन्त स्टेशन मास्टर को दे देगा जो उसे तत्काल रद्द कर देगा।

11.06. पायलट गार्ड पद्धति पर गाड़ियों की रक्षा:– यदि कोई गाड़ी, जिसके पीछे दूसरी गाड़ी जा रही है, स्टेशनों के बीच लाइन पर रूक जाती है तो गार्ड और लोको पायलट नियम 10.09 के उपबन्धों के अनुसार उस गाड़ी की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे। (यह पद्धति पूर्व मध्य रेल पर प्रचलन में नहीं है)

CHAPTER XI
THE PILOT GUARD SYSTEM

11.01 Essentials of the Pilot Guard System:- Where trains are worked on the Pilot Guard System: -

(a) A railway servant (hereinafter called a Pilot Guard) shall be specially deputed to pilot trains; and

(b) No train shall leave a station except under the personal authority of the Pilot Guard.

11.02 Conditions to be observed for following trains on the Pilot Guard System: -

Trains shall not follow one another in the same direction between stations, unless:-

(a) The Loco Pilot has been properly warned of the time of departure of the preceding train and of the place at which it will next stop,

(b) All the trains are timed to run at the same speed, and such speed shall not exceed 25 kilometres an hour except under special instructions and

(c) An interval of fifteen minutes has elapsed since the departure of the preceding train.

11.03 Pilot Guard's dress or badge:- The Pilot Guard shall be distinguished by a red dress or badge.

11.04 Pilot Guard to accompany train or give authority to proceed:-

(1) No train shall be started from a station unless the Loco Pilot sees that it is accompanied by, or that the authority to proceed is given personally by the Pilot Guard wearing the dress or badge prescribed in Rule 11.03.

(2) The Pilot Guard shall accompany every train:-

Provided that when it is necessary to start two or more trains from one end of the section before a train has to be started from the other end, the Pilot Guard shall accompany only the last of such trains, and shall personally give the authority to proceed for the preceding trains.

(3) When accompanying a train, the Pilot Guard shall ride on the footplate of the engine.

11.05 Pilot Guard's Tickets: -

(1) When the Pilot Guard does not accompany a train, he shall deliver to the Guard (or, if there be no Guard, to the Loco Pilot) a Pilot Guard's Ticket on a printed form properly filled up and signed in ink, as the authority to proceed.

(2) Every such ticket shall apply only to the single journey to the station named on it.

(3) If the train is in charge of a Guard, he shall before the train is started, deliver the ticket to the Loco Pilot.

(4) Immediately on the arrival of the train, the Loco Pilot shall deliver the ticket to the Station Master who shall at once cancel it.

11.06 Protection of trains on the Pilot Guard System:- in the event of a train, which is followed by another train, stopping on the line between stations, the Guard and the Loco Pilot shall take action to protect the train in accordance with the provisions of Rule 10.09.